

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2015/ज्येष्ठ 8, 1937

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2015/JYAISTHA 8, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

सा.का.नि. 436(अ).—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के खंड-3 के उप-खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियमावली, 1975 के नियम 3 के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नामांकन को रा०स०वि०नि० के सामान्य परिषद के सदस्य (पदेन) के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करती है नामतः—

आर्थिक मामलों का निपटान करने वाले केंद्रीय मंत्रालयों से खंड 3(4)(II) के अंतर्गत नामांकित:—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग

—सदस्य (पदेन)

(सचिव, योजना आयोग के स्थान पर, 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग के बदले नीति आयोग के प्रतिस्थान के बाद)

[सं. एल-12011/2/2010-आई एण्ड पी (पार्ट.)]

डॉ. आशीष कुमार भुटानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Cooperation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2015

G.S.R. 436(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), read with rule 3 of the National Co-operative Development Corporation Rule, 1975, the Central Government hereby notifies the nomination of the following as the member (ex-officio) of the General Council of NCDC with effect from the date of publication of this notification, namely:—

Nominated under Section 3 (4) (ii) from the Central Ministries dealing with economic matters

1. Chief Executive Officer, NITI Aayog

—Member (ex-officio)

(In place of Secretary, Planning Commission, consequent upon replacement of the Planning Commission by NITI Aayog w.e.f. 1st January, 2015)

[No. L-12011/2/2010-I&P (Pt.)]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.